UPGK010021252026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 928/2026,

शक्ति सिंह उर्फ नीरज सिंह पुत्र जगदम्बा सिंह
निवासी- मैभरा, थाना- बड़हलगंज,
जिला- गोरखपुर। आवेदक/अभियुक्त,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 72/2026,
धारा- 85,108,352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता व धारा- 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,
थाना- बड़हलगंज, जनपद- गोरखपुर।

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त शक्ति सिंह उर्फ नीरज सिंह, जो अपराध संख्या- 72/2026, धारा- 85,108,352,351 (3) भारतीय न्याय संहिता व धारा- 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- बड़हलगंज, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार प्रथम सूचनाकर्ता अखण्ड प्रताप सिंह ने अपनी बहन प्रीति सिंह की शादी लगभग 6 वर्ष पूर्व शक्ति सिंह उर्फ नीरज सिंह के साथ किया था। अभियुक्तगण सौरभ सिंह उर्फ धीरज सिंह, गुडडी देवी, शक्ति सिंह उर्फ नीरज सिंह, जगदम्बा सिंह, सूरज सिंह व अंजू आये दिन प्रथम सूचनाकर्ता की बहन को गाली-गुप्ता व हत्या करने की धमकी देते थे व मारते-पीटते व प्रताडित करते थे। दिनांक 12.02.2026 को समय लगभग 04:00 बजे दिन में अभियुक्तगण नाजायज तरीके से पांच लाख रूपये का अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे तथा बुरी तरह से मार-पीटकर उसकी हत्या कर दिये। उक्त घटना के पहले प्रथम सूचनाकर्ता की बहन ने प्रथम सूचनाकर्ता व घर वालो से सारी बात बतायी थी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में लिप्त किया गया है। आवेदक का विवाह लगभग 08 वर्ष पूर्व हुआ था। कथित मृतका एक स्वतंत्र विचार की महिला थी तथा वह आवेदक के उपर पूरे परिवार से अलग रहने का दबाव बनाती थी तथा

मना करने पर आत्महत्या की धमकीदेती थी। मृतका के मायके वाले से आवेदक से दो लाख रूपये उधार लिया था मृतक जब भी उधार मांगती थी तो उसके मायके वाले कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। घटना वाले दिन उधार पैसा मांगने की बात को लेकर मृतका का अपने मायके वालों से कहा-सुनी हो गयी तथा उसी दिन, दिन में करीब तीन-चार बजे आवेदक चौराहे पर चला गया तबा जब वापस आया तो कमरे का दरवाजा बंद पाया। जब बुलाने पर दरवाजा नहीं खुला तो आवेदक ने दरवाजे को तोडा तथा देखा कि मृतका फंदा लगाकर लटकी हुई थी। कथित घटना का कोई सुसाईट नोट बरामद नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 16.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदक/अभियुक्त मृतका का पति है। आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो के द्वारा मृतका प्रीति सिंह से दहेज की मांग की जाती थी तथा इसके लिये मृतका को प्रताड़ित किया जाता था। प्रताड़ना से तंग आकर मृतका ने आत्महत्या कर लिया। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। आवेदक/अभियुक्त मृतका प्रीति सिंह का पति है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अपनी पत्नी मृतका प्रीति सिंह से दहेज की मॉग को लेकर उसे प्रताड़ित करने, जिससे तंग आकर उसके द्वारा आत्महत्या कर लेने का गम्भीर अभिकथन है। विवेचक द्वारा धारा-180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत मृतका के भाई प्रथम सूचनाकर्ता अखण्ड प्रताप सिंह का साक्ष्य लेखबद्ध किया गया है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी में उल्लिखित कथनों का समर्थन करते हुए कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त व सह-अभियुक्तो की विशिष्ट भूमिका व भागिता के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कथन किया है। अन्त्य परीक्षण के समय मृतक प्रीति सिंह के शरीर पर कुल 03 उपहतियॉ पायी गयी है, जिनमे से पहली उपहति गर्दन के सामने 28 सेन्टीमीटर X 1 सेन्टीमीटर के आकार का लीगेचर मार्क मौजूद था, जो दाहिने कान से 7 सेन्टीमीटर नीचे, ठुडडी से 5 सेन्टीमीटर नीचे व बांये कान से 1 सेन्टीमीटर नीचे था। दूसरी उपहति 3 सेन्टीमीटर X 0.2 के आकार का एक कटा हुआ घाव बाये कलाई के जोड़ की तरफ मौजूद था तथा तीसरी उपहति 2 सेन्टीमीटर X 0.1 सेन्टीमीटर के आकार का कटा हुआ घाव बाये कलाई के जोड़ की तरफ चोट संख्या- 02 से 0.5 सेन्टीमीटर ऊपर मौजूद था। मृतका की मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व लटकने के परिणामस्वरू जगदम्बा सिंह प

उत्पन्न श्वांसावरोध होना चिकित्सक द्वारा बताया गया है। इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है।

अतएव मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त शक्ति सिंह उर्फ नीरज सिंह की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक/गोरखपुर
11 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.11 15:48:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court